निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 906) पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

27 जुलाई 2015

सं० 22 / नि0सि0(मोति0)–08–03 / 2004 / 1674—श्री अजय चौधरी, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, शीर्ष कार्य प्रमण्डल, बाल्मीकिनगर सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, दरभंगा के विरूद्ध वर्ष 2003 बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्यों के लिए शीर्ष कार्य प्रमंडल, बाल्मीकिनगर के अधीन एजेण्डा संख्या 77 / 350 के तहत गंडक बराज के दायाँ गाईड बाँध एवं दायाँ एफलक्स बाँध के मरम्मति कार्य के लिए बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना द्वारा प्राप्त निविदा कागजात के प्राप्त करने हेतु आपको प्राधिकृत किया गया। आपने निविदा कागजात प्राप्त करने के उपरांत पटना से बाल्मीकिनगर के रास्ते तथाकथित अपहरण एवं कागजात की छीना–झपटी की बात कहा तथा संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं कर विभागीय मौखिक एवं लिखित निदेशों की अवहेलना जो आपकी संलिप्तता तथा विभागीय अनुदेशों को अक्षरशः अनुपालन नहीं करने आदि प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक 786 दिनांक 07.08.07 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 2907 दिनांक 17.12.14 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए निविदा कागजात के छीना–झपटी के बिन्दु पर ससमय प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया और विभागीय पत्रांक 873 दिनांक 15.04.15 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

श्री चौधरी द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिनांक 21.05.2015 समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि निविदा छीना–झपटी की घटित घटना में श्री चौधरी की किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं रही है। साथ ही सरकार को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई है। आरोपी द्वारा घटित सभी घटनाओं की सूचना ससमय उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए थाना प्रभारी, बाल्मीकिनगर को भी वांछित सूचना ससमय उपलब्ध कराई गई है। बाद में कार्यपालक अभियंता के निदेश पर स्थानान्तरण हो जाने के बाद भी इनके द्वारा संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश की गई है, परन्तु थाना प्रभारी द्वारा सीधे रूप से प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर कार्यपालक अभियंता के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई इनके द्वारा की गई है।

अतएव मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित नहीं मानते हुए सरकार द्वारा इन्हें आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री चौधरी को आरोप मुक्त किया जाना संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 906-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in